संख्या-2451/81-2-2024-800(260)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र सिह चौहान
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक** 17 **दिसम्बर 2024**

विषय- जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar by pass of NH-119 connectiong Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the State of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 हे0 सरंक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के म्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1529/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022 दिनांक 10.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि प्राप्त अभिलेखानुसार प्रश्नगत प्रस्ताव (प्रस्ताव ख्या-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022) के Submission की तारीख 20/06/2022 है। दिनांक 28/06/2022 ` वन (संरक्षण) नियम 2022 लागू हुआ और वर्तमान में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 लागू है, इनके अनुसार 5 हे0 से अधिक के परियोजना प्रस्तावों हेतु गठित प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) के परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु शा न को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि आपके पत्र दिनांक 10.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना परिवेश 1.0 से म्बन्धित है, जिसका पार्ट-1 पूर्व में ही मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पोर्टल से दिनांक 26.12.2022 द्वारा स्वीकृति किया जा चुका है, जि में प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा परीक्षण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3- अतः इस संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव पर वन (रक्षण) नियम 2022/वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्राविधान लागू होंगे अथवा नहीं ? के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या सुसंगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Signed by
Devendra Singh Chauhan
Date: 17-12-2024 12:05:07
(देवेन्द्र िह चौहान)
अनु चिव।